संख्या-14/2026/225/002-12-5099-139-2025

प्रेषक,

लाल बहादुर यादव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक
उत्तर प्रदेश,
कृषि भवन, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-5 **लखनऊ : दिनांक 17 मार्च, 2026**

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में पूंजीगत परिव्यय मद में धनराशि रू० 48758537.00 के सापेक्ष प्रतिस्थापन के आधार पर जेम के माध्यम से वाहन क्रय हेतु वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक संख्या-अभि०-237/3307/वाहन क्रय/2025-26, दिनांक 21 फरवरी, 2026 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रतिस्थापन के आधार पर जेम के माध्यम से 01 इनोवा क्रिस्टा जी1 एमटी वाहन, 10 ग्राण्ड विटारा डेल्टा एमटी वाहन, 42 मारूति एक्सएल6 जेटा पेट्रोल वाहन एवं 01 मारूति डीजायर वीएक्सआई1-2 वाहन अर्थात कुल 54 वाहनों को प्रतिस्थापन के आधार पर जेम के माध्यम से क्रय करने हेतु चालू वित्तीय वर्ष की अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 4401-फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय, 001-निदेशन तथा प्रशासन, 03-कृषि निदेशालय का सामान्य अधिष्ठान के मानक मद 14-मोटर गाड़ियों का क्रय अन्तर्गत अनुपूरक अनुदान के माध्यम से स्वीकृत प्राविधानित धनराशि तथा मूल प्राविधान की अवशेष धनराशि के सापेक्ष रूपये 48758537.00 (रूपये चार करोड सत्तासी लाख अठावन हजार पांच सौ सैतीस मात्र) धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

1- क्रय किये जाने वाले वाहनो का क्रय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 के शासनादेशों में निर्धारित सीमा/व्यवस्था तथा परिवहन विभाग द्वारा वाहन क्रय हेतु निर्गत संगत शासनादेशों के अन्तर्गत किया जायेगा।
2- प्रतिस्थापन स्वरूप वाहन का क्रय जेम पोर्टल के अनुसार न्यूनतम दरों के अन्तर्गत किया जायेगा।
3- यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत निष्प्रयोज्य वाहन की नीलामी की धनराशि राजकोष में निर्धारित मद में जमा कर दी गयी है और इसकी पुनरावृत्ति नहीं हुई है।
4- प्रश्नगत धनराशि का व्यय केवल प्रतिस्थापन स्वरूप वाहन क्रय मद में किया जायेगा तथा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उल्लिखित निष्प्रयोज्य वाहन के सापेक्ष पूर्व में प्रतिस्थापन स्वरूप वाहन का क्रय नहीं किया गया है। अर्थात क्रय की कार्यवाही की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) न हो।
5- प्रश्नगत वाहन हेतु अनुमन्य/स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

6- मितव्ययिता के दृष्टिगत वाहन की नितान्त आवश्यकता / अपरिहार्यता होने पर ही प्रतिस्थापन के आधार पर वाहन का क्रय किया जायेगा।

7- प्रश्नगत क्रय हेतु वाहन की गुणवत्ता, विशिष्टियों एवं वरीयता को सुनिश्चित करने का समस्त उत्तरदायित्व कृषि निदेशक, उ०प्र० का होगा।

8- स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-1/2026/बी-2-01/दस-2026-244/2025, दिनांक 05 जनवरी, 2026 एवं इस संबंध में समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये **48758537.00 (रूपये चार करोड सत्तासी लाख अठावन हजार पांच सौ सैतीस मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 011 **लेखा शीर्षक** 4401000010300 कृषि निदेशालय का सामान्य अधिष्ठान **मानक मद** 14 मोटर गाड़ियों का क्रय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-E-1-328-X-2025-26, दिनांक 16 मार्च, 2026 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
लाल बहादुर यादव
विशेष सचिव।

संख्या-14/2026/225/002-12-5099-139-2025, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. प्रधान महालेखाकार प्रथम/द्वितीय-(सिविल/आडिट), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, लखनऊ।
6. संयुक्त कृषि निदेशक(अभि०), कृषि भवन, लखनऊ।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
लाल बहादुर यादव
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।